न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 90/2020
3. उनवान : सरकार जरिये थानाधिकारी, थाना जोबनेर

बनाम

1. श्री मांगुराम पुत्र चुन्नाराम निवासी मावा थाना मौलासर जिला नागौर।
2. श्री भगवानाराम पुत्र श्री मन्नाराम निवासी मावा थाना मौलासर जिला नागौर।

4. निर्णय दिनांक : 12.07.2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री नरेश कुमार सैन अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी थानाधिकारी, पुलिस थाना जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 09.07.2014 को हैड कानि. पुलिस थाना जोबनेर द्वारा सूचना दी गयी कि बस स्टैण्ड महला रोड झरना पर एक पिकअप आर.जे.37–जीए–1144 में 2 ड्रम पेट्रोल व 6 ड्रम डीजल के भरे हुये हैं, जो अवैध हैं। सूचना पर सी0ओ0 सांभरलेक मौके पर पहुंचे। मौके पर पिकअप की जांच करने पर में 2 ड्रमों में 440 लीटर पेट्रोल एवं 6 ड्रमों में 1300 लीटर डीजल अवैध पाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा इस संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया और ना ही वैध दस्तावेज पेश किये गये। ऐसी स्थिति में 2 ड्रमों में 440 लीटर पेट्रोल एवं 6 ड्रमों में 1300 लीटर डीजल मय पिकअप आर.जे. 37–जीए–1144 जब्त किये गये। तत्पश्चात अप्रार्थीगण को गिरफ्तार किया गया व मुकदमा दर्ज कर श्रीमान सी0जे0एम0 साहब जयपुर कोर्ट में चालान पेश किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र व एफ.आई.आर. की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 05.04.2023 को अधिवक्ता श्री नरेश कुमार सैन ने उपस्थिति दी। दिनांक 23.02.2015 को अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र पेश कर स्वयं को जब्त गाडी का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे/जमानतनामे पर गाडी को रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें रुपये 5,00,000/– का जमानतनामा पेश करने पर दिनांक 10.04.2015 को माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। अप्रार्थीगण/अभिभाषकगण की ओर से आदिनांक तक कोई जवाब पेश नहीं किया गया। तत्पश्चात प्रकरण जवाब/बहस हेतु नियत किया गया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस जब्त माल के अन्तिम निस्तारण से प्राप्त राशि में अधिकार बदस्तूर रखने का निवेदन किया है। यदि अप्रार्थी प्रकरण में बरी होता है तो प्रार्थी समस्त निस्तारण राशि माल के सम्बन्ध में जो भी है, प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए फर्द जब्ती के अनुसार जब्त माल को मय वाहन राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 12.07.2023 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 09.07.2014 को हैड कानि. पुलिस थाना जोबनेर द्वारा दी गयी सूचना पर

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

सी0ओ0 सांभरलेक ने अवैध डीजल, पैट्रोल व पिकअप जब्त किये। अप्रार्थीगण द्वारा इस संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया, ना ही वैध दस्तावेज पेश किये गये। अप्रार्थीगण द्वारा जब्त वस्तुओं की वैधता के संबंध में मौके पर और आदिनांक तक कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी वाहन के अलावा अन्य जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम आज तक पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति अप्रार्थीगण ने राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 15 का उल्लंघन किया है जिसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा एक समय पर स्वयं या अपने निमित्त किसी भी व्यक्ति के मार्फत बिना अनुज्ञप्ति के 1000 लीटर से ज्यादा पेट्रोल व डीजल का भण्डारण पर प्रतिबंध व निर्बन्धन है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा जब्त 440 लीटर पेट्रोल मय 2 ड्रम एवं 1300 लीटर डीजल मय 6 ड्रम एवं पिकअप आर.जे.37–जीए–1144 ए को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देश दिये जाते हैं कि आदेशानुसार जब्त सामग्री को राजसात कर नियमानुसार राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।